

**ग्राम पंचायत स्वाइ, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017**

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्वाइ, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मदन ठाकुर	01/04/2014 से 22/01/16
2	श्री लाल चन्द	23/01/16 से 31/03/17

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द	01/04/2014 से 31/03/2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत स्वाइ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ वही तथा बैंक खातो मे अन्तर	0.60
2	09	अनुदान राशियों का अवरोधन	23.84
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.39

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत स्वाइ, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा

श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-02-18 से 19-02-18 तक ग्राम पंचायत स्वाड के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः 07/2014, 06/2015, 02/2017 व 06/2014, 06/2015, 01/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत स्वाड, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-62 दिनांक-19-02-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत स्वाड से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

4.1 स्व-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत स्वाड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1 स्व-स्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	438517	308444	746961	18449	728512
2015-16	728512	224292	952804	357541	595263
2016-17	595263	83691	678954	311190	367764

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	471518	1767045	2238563	1663838	574725
2015-16	574725	2930013	3504738	2854699	650039
2016-17	650039	5312823	5962862	3578604	2384258

(अ) कुल योग 1 + 2 = ₹2752022

नोट:-पंचायत द्वारा मनरेगा कि रोकड़ बही नहीं बनाई गई है तथा इसका आय-व्यय विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार किया गया I

(ब) दिनांक 31.03.2017 को ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	सामान्य	24580001000006141	पी.एन.बी. मुल्थान	278698
2	अन्य अनुदान	20016004827	के.सी.सी.बी. बैजनाथ	2533418
		हस्तगत राशि		00
			कुल योग	₹2812116

अन्तर (अ- ब) 2812116 - 2752022 = ₹60094

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.60 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹60094 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :-

6.1 लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही के प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत स्वाड में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग

पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा इस के न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 मनरेगा अनुदान की रोकड़बही तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार फार्म -14 में सामान्य नियमानुसार रोकड़ बही तैयार करना अनिवार्य है। पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ बही तो तैयार कि गई है, परन्तु मनरेगा की रोकड़ बही तैयार नहीं की जा रही है तथा आय व्यय विवरणी ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार की गई जिससे कि न केवल आय-व्यय विवरण तैयार करने में मुश्किल आई परन्तु इसमें अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार मनरेगा रोकड़ बही तैयार करना सुनिश्चित की जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत कि स्व-स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार दिनांक 31-03-17 तक पंचायत राजस्व ₹5200 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

गृहकर

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्वाड की गृहकर से सम्बंधित राशि दिनांक 31-03-17 तक शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2014-15	2320	298	20/-	5960	8280	2220	6060
2	2015-16	6060	315	20/-	6300	12360	7800	4560
3	2016-17	4560	342	20/-	6840	11400	6200	5200

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप-11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹23.84 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट-1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-17 तक प्राप्त अनुदानों से ₹2384258 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹239147 के स्टॉक का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं

किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेख का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- 1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 2 जल प्रभार रजिस्टर
- 3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 4 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 6 डाक टिकट रजिस्टर
- 7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्ट्रों में इन्द्राज किया गया है ओर न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताये:-

- 13.1 ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।
- 13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 13.3 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सिटींग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से समन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- 14 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।
- 15 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15) (vi)197 / 2018 खण्ड-1-4415-4418 दिनांक 19.06.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत स्वाड़, विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि०प्र०

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

